

भारत में दत्तक ग्रहण

प्रलिस के लयः

भारत में दत्तक ग्रहण, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधकरण, हदु दत्तक ग्रहण और भरन-पोषण अधनियम, 1956, कशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन अधनियम, 2021

मेन्स के लयः

भारत में दत्तक ग्रहण से संबधति कानून, भारत में दत्तक ग्रहण से संबधति प्रमुख चुनौतयिँ

चर्चा में क्योँ?

महला एवं बाल वकिस मंत्रालय ने हाल ही में महाराष्ट्र में [दत्तक ग्रहण](#) के मामलों के महत्त्वपूर्ण बैकलॉग पर प्रकाश डाला है, जसमें भारत में दत्तक ग्रहण के लंबति मामलों की संख्या (329 समाधान की प्रतीक्षा में) सबसे अधक है।

- जनवरी 2023 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दत्तक ग्रहण के लंबति मामलों को ज़िला मजसिद्रेटों को स्थानांतरति नहीं करने का नरिदेश दया, [जैसा ककशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधनियम, 2021 के तहत अनवार्य है], जससे भ्रम पैदा हुआ और प्रगत में बाधा उत्पन्न हुई।

भारत में बाल दत्तक ग्रहण की स्थतिः

परचयः

- यह एक कानूनी और भावनात्मक प्रकरया है जसमें ऐसे बच्चे की देखभाल की ज़मिेदारी स्वीकार करना शामिल है जो दत्तक ग्रहण वाले माता-पति से जैवकि रूप से संबधति नहीं है।
- भारत में दत्तक ग्रहण की प्रकरया की नगरानी और वनियमन [केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधकरण \(Central Adoption Resource Authority- CARA\)](#) द्वारा कया जाता है, जो महला एवं बाल वकिस मंत्रालय का हसिसा है।
 - CARA भारतीय बच्चों को दत्तक ग्रहण के लयिे नोडल नकयाय है और इसे देश में दत्तक ग्रहण की नगरानी करने एवं वनियमन का अधकार है।
 - CARA को वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थति हेग कन्वेंशन ऑन इंटरकंटरी एडॉप्शन, 1993 के प्रावधानों के अनुसार अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण (Adoptions) की गतविधियिँ से नपिटने के लयिे केंद्रीय प्राधकरण के रूप में भी नामति कया गया है।

भारत में दत्तक ग्रहण से संबधति कानूनः

- भारत में दत्तक ग्रहण दो कानूनों द्वारा शासति होते हैं: [हदु दत्तक ग्रहण और भरन-पोषण अधनियम, 1956](#) तथा [कशोर न्याय अधनियम, 2015](#)।
 - दोनों कानूनों में दत्तक माता-पति के लयिे पात्रता मानदंड अलग-अलग हैं।
- कशोर न्याय अधनियम के तहत आवेदन करने वालों को CARA के पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है जसके बाद एक वशेष दत्तक ग्रहण वाली एजेंसी एक गृह अध्ययन (Home Study) संबधी रपिोर्ट तैयार करती है।
 - जब यह स्पष्ट हो जाता है क उममीदवार दत्तक ग्रहण के लयिे योग्य है, तो दत्तक ग्रहण के लयिे कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषति कयिे गए बच्चे को आवेदक को सौंप दया जाता है।
- HAMA के तहत एक "दत्तक होम" समारोह अथवा एक दत्तक ग्रहण का कार्य या नायालय का एक आदेश अपरविरतनीय दत्तक ग्रहण के अधकार प्राप्त करने हेतु परयाप्त है।
 - इस अधनियम के तहत हदु, बौद्ध, जैन और सखिँ को बच्चे दत्तक ग्रहण का अधकार परयाप्त है।

हालया बदलावः

- संसद ने कशोर न्याय अधनियम, 2015 में संशोधन करने के लयिे कशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधनियम, 2021 पारति कया।
 - इससे पहले कशोर न्याय अधनियम, 2015 में कसिी बच्चे को दत्तक ग्रहण के मामले में सवलिे कोर्ट द्वारा दत्तक ग्रहण का

आदेश जारी करना अंतिम निर्णय हुआ करता था।

- मुख्य बदलावों में कशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के तहत दत्तक ग्रहण (दत्तक ग्रहण) के आदेश जारी करने के लिये ज़िला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट की सहमति अनिवार्य कर दी गई है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दत्तक ग्रहण विनियम- 2022 पेश किया है जिससे दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया काफी सुव्यवस्थित हो गई है।
- ज़िला मजिस्ट्रेटों (District Magistrates- DM) और बाल कल्याण समितियों को वास्तविक समय में दत्तक ग्रहण के आदेश तथा मामले की स्थिति अद्यतन करने का निर्देश दिया गया है।
- दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के कार्यान्वयन के बाद से देश भर में DM द्वारा 2,297 दत्तक ग्रहण के आदेश जारी किये गए हैं, जिससे लंबित मामलों का गंभीर पहलू का समाधान हो गया है।

भारत में दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ:

- **दत्तक ग्रहण से संबंधित लंबी और जटिल प्रक्रिया:** भारत में संबंधित प्रक्रिया लंबी, जटिल और नौकरशाही से प्रभावित हो सकती है, जिससे बच्चों को उपयुक्त परिवारों को सौंपने में देरी हो सकती है।
 - CARA के आँकड़े बताते हैं कि जहाँ 30,000 से अधिक भावी माता-पिता अब दत्तक ग्रहण की प्रतीक्षा कर रहे हैं वहीं 2131 बच्चों में से 7% से भी कम बच्चे दत्तक ग्रहण हेतु कानूनी रूप से उपलब्ध हैं, जो भारत की श्रमसाध्य एवं लंबी दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को उजागर करता है।
 - उनमें से लगभग दो-तर्हिाई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने में तीन वर्ष लगते हैं।
- **अवैध और अनियमित प्रथाएँ:** भारत में अवैध और अनियमित दत्तक ग्रहण की प्रथाओं के उदाहरण देखे जा सकते हैं। इसमें शिशु तस्करी, बच्चों की बिक्री और अपंजीकृत दत्तक ग्रहण वाली एजेंसियों का असतत्व शामिल है, जो कमज़ोर बच्चों एवं जैविक माता-पिता का शोषण करते हैं।
 - वर्ष 2018 में राँची की मदर टेरेसा की मशिनरीज़ ऑफ़ चैरिटी "बच्चे बेचने वाले रैकेट" के संदर्भ में आलोचना का शिकार हो गई थी, जब आश्रय स्थल की एक नन ने चार बच्चों को बेचने की बात कबूल की थी।
- **दत्तक ग्रहण के बाद बच्चों को वापस लौटाना:** भारत को दत्तक ग्रहण के बाद बच्चों को लौटाने वाले माता-पिता की संख्या में भी असामान्य वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है।
 - वर्ष 2020 में CARA ने कहा कि पिछले पाँच वर्षों में देश भर में गोद लिये गए 1,100 से अधिक बच्चों के दत्तक माता-पिता द्वारा बाल देखभाल संस्थानों में वापस कर दिया गया है।

आगे की राह

- **दत्तक ग्रहण के कानूनों को मज़बूत करना:** प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, और अधिक पारदर्शी बनाने तथा बच्चे के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने हेतु दत्तक ग्रहण के कानूनों की समीक्षा एवं अद्यतन करने की आवश्यकता है।
 - इसमें कागज़ी कार्यवाही को सरल बनाना, समय में लगने वाली देरी को कम करना और मौजूदा कानून में किसी भी खामी या अस्पष्टता को दूर करना शामिल है।
- **दत्तक ग्रहण के बाद की सेवाएँ:** दत्तक माता-पिता और गोद लिये गए बच्चों दोनों की सहायता हेतु दत्तक ग्रहण के बाद की सहायता सेवाएँ स्थापित करने की आवश्यकता है।
 - इसमें परामर्श, शैक्षिक सहायता, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच तथा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के दौरान आने वाली किसी भी चुनौती के प्रबंधन के लिये मार्गदर्शन करना शामिल हो सकता है।
- **जागरूकता और शिक्षा:** परिवार निर्माण के लिये एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में दत्तक ग्रहण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
 - इसमें दत्तक ग्रहण के लाभों, प्रक्रियाओं और कानूनी पहलुओं के बारे में जनता को शिक्षित करना शामिल है। साथ ही दत्तक ग्रहण के प्रतापिकारत्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना तथा इससे संबंधित गलतफहमियों या कलंक को दूर करना आवश्यक है।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)